

02.08.2022:- आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र में आगामी कार्यवाही नहीं करना चाहता। प्रार्थना-पत्र विद्रा फरवाया जावे। वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़